संख्या- 121 /2022/ 490 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2022**

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की रामलीला को रेखांकित करने के उद्देश्य से अयोध्या में रामलीला की प्रस्तुतियों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान के पत्र संख्या- 596/रामलीला/2021-22 दिनांक 29 मार्च, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की रामलीला को रेखांकित करने के उद्देश्य से अयोध्या में वर्ष पर्यन्त रामलीला की प्रस्तुति हेतु रू0 108.00 लाख (रूपये एक करोड़ आठ लाख मात्र) की प्रशासकीय तथा प्रथम चरण हेतु रू0 54.00 लाख (रूपये चौवन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि आहरित कर निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर समस्त विवरण एवं बिल बाउचर आदि संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) वास्तविक व्यय के अनुसार धनराशि का भुगतान करते हुए स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार ही उपयोग किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन की जायेगी।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 121 /2022/ 490 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।